International Journal of Educational Research and Development
www.allinnovationjournal.com
Online ISSN: 2664-7095, Print ISSN: 2664-7087
Received: 23-12-2024, Accepted: 22-01-2025, Published: 06-01-2025
Volume 7, Issue 1, 2025, Page No. 40-43

आजमगढ़ व मऊ जनपद की महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन करना

विजय प्रकाश यादव[1], प्रो. बी. आर. कुकरेती[2], डॉ. सुबाष चन्द्र[3]
[1] शोधार्थी, शिक्षा शास्त्र विभाग, स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
[2] प्रोफ़ेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
[3] सहायक प्राध्यापक, शिक्षा शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय, टप्पल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने आजमगढ़ व मऊ जनपद महिलाओं के के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन किया है। इस शोध में प्रतिदर्श का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया है। प्रतिदर्श के रूप में सात सौ बीस (720) महिलाओं का चयन किया गया, जिनमें से आजमगढ़ व मऊ जनपद के 50 % शहरी और 50 % ग्रामीण महिलाओं तथा 50 % एकल परिवार व 50 % संयुक्त परिवार की महिलाओं का चयन किया गया। शोधकर्ता ने आंकड़ों की व्याख्या के लिए माध्य, मानक विचलन और टी–परीक्षण का उपयोग किया। यह अध्ययन आजमगढ़ व मऊ जनपद के महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर एवं उसके प्रभाव को जानने में सहायक है; यह ग्रामीण,शहरी और नौकरी करने वाली एवं गृहणी महिलाओं के साथ –साथ एकल परिवार व संयुक्त परिवार की महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर और उनके बीच संबंध को जानने में भी सहायक है। शोधकर्ता अपने अनुसन्धान में पाया कि शहरी एवं ग्रामीण, एकल परिवार और संयुक्त परिवार महिलाओं में मानवाधिकारों प्रति जागरूकता स्तर में सार्थक अंतर पाया गया। इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि शहरी महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक होती है तथा उनका शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है।

मूल शब्द: मानवाधिकार, महिला जागरूकता

प्रस्तावना
सृष्टि– सृजन और मानवीय सभ्यता के विकास में स्त्री–पुरुष दोनों की समान सृजनात्मक भूमिका रही है। ये दोनों एक–दूसरे के पूरक एवं सहयोगी हैं। नारी अपने विविध रूपों में पुरूष को संवर्धन प्रोत्साहन और शक्ति प्रदान करती है। सामाजिक संरचना, व्यवस्था, परम्पराएं रूढियाँ एवं रीति रिवाज ये मानवकृत होकर भी मानव विनेदक हैं। इन्होंने समाजीकरण व संस्कारगत व्यवहार व मूल्यों के आधार पर स्त्री–पुरूष के मध्य विभेदीकरण की एक लकीर खींच दी। नारी निर्माण की इस प्रक्रिया से समाज में महिलाओं की स्थिति असमानता, शोषण व उत्पीड़न के अनुभवों से जुड़ती चली गई। उसे समाज में द्वितीय दर्जा दे दिया गया। भारतीय संविधान एक आदर्श संविधान है। इसमें नागरिकों के हितार्थ ऐसे सभी प्रावधान किये गये हैं जिनसे उनके हितों की रक्षा हो, उनकी स्वतन्त्रता और समानता सुनिश्चित हो तथा उनको विकास और प्रगति के अवसर मिलें स्वतन्त्रता ऐसी अवस्था को स्थापित करती है जिससे मनुष्य का पूर्ण विकास हो सकता है।

संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण
प्रस्तुत शोध समस्या से सम्बन्धित कुछ प्रमुख साहित्य के सर्वेक्षण निम्नलिखित है

भास्कराचार्य (2003), ने शिक्षा के अधिकार एवं मानवाधिकार शिक्षा में अध्ययन किया। लेखक कहते है कि मानवाधिकार गतिज प्रत्यय है जो भाव को विस्तारित रूप से फलता है एवं स्थिर करता है। उच्च स्तर के विकास के लिए मानव समाज के नये क्षेत्र को भी पूरा करता है।

ए. सुहाशिनी (2003), ने मानवाधिकार एवं कर्तव्य शिक्षा पर अध्ययन किया और निष्कर्ष पाया सुसंगत एवं व्यवस्थित एवं स्वास्थ्य समाज को लाना शिक्षा का कार्य है। लेखक ने अवलोकन किया कि व्यक्ति को उनके अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है।

गजपाल एवं चौबे (2020), ने अपने शोध, बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों का मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन।' में महाविद्यालयों से चयनित कुल 357 प्रतिदर्श इकाइयों से संकलित आँकड़ों विश्लेषण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि बी. एड. प्रशिक्षणार्थिओं में लिंग व विषय के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।

यादव अजीत (2020), ने अपने शोध, विद्यार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता का तुलनात्मक विश्लेषण में वर्णनात्मक सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का अनुप्रयोग किया। स्तरीकृत रैंडम न्यादर्शन विधि द्वारा आगरा विश्वविद्यालय के 200 विद्यार्थियों का चयन किया। स्वनिर्मित मानवाधिकार मापनी को प्रतिदर्श इकाइयों पर प्रशासित कर शोध आंकड़ों का संकलन कर जेड परीक्षण के प्रयोग द्वारा उनका विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला कि लिंग व विषय वर्ग के आधार पर विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता में सार्थक अंतर है। छात्राओं में छात्रों की अपेक्षा मानवाधिकार जागरूकता अधिक थी, इसी प्रकार कला वर्ग के विद्यार्थी विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की तुलना में मानवाधिकारों के प्रति अधिक सजग पाये गए।

अध्ययन की आवश्कता
किसी देश और व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए मानवाधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि हम बुनियादी मानवाधिकारों पर नज़र डालें, तो हम देखते हैं कि कैसे जीवन का अधिकार, किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता , आंदोलन से स्वतंत्रता और बहुत कुछ है। प्रत्येक अधिकार किसी भी इंसान की भलाई में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जीवन का अधिकार मनुष्य के जीवन की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई आपको मार न सके और इस प्रकार आपके मानसिक शांति की रक्षा करता है। इसके बाद, विचार और धर्म की स्वतंत्रता नागरिकों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म का पालन करने की अनुमति देती है। इसके अलावा, इसका मतलब यह भी है कि कोई भी स्वतंत्र रूप

से सोच सकता है। इसके अलावा, आंदोलन की स्वतंत्रता लोगों की लामबंदी में सहायक है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी को भी अपनी पसंद के किसी भी राज्य में यात्रा करने और रहने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। यह आपको जहाँ भी आप चाहें अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति देता है।

इसके बाद, मानवाधिकार आपको निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी देता है। हर इंसान को अदालत में जाने का अधिकार है जहां निष्पक्ष निर्णय होगा । जब बाकी सब कुछ विफल हो जाए तो वे उन्हें न्याय दिलाने के लिए अदालत पर भरोसा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य अब किसी भी प्रकार की गुलामी से मुक्त है। कोई अन्य मनुष्य गुलामी नहीं कर सकता और उन्हें अपना गुलाम नहीं बना सकता। इसके अलावा, मनुष्य भी बोलने और अपनी राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

संक्षेप में हम कह सकते है कि मानव के सुखी जीवन के लिए मानव अधिकार अत्यंत आवश्यक हैं। हालाँकि, आजकल इनका लगातार उल्लंघन हो रहा है और हमें इस मुद्दे से निपटने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। सरकारों और नागरिकों को एक–दूसरे की रक्षा करने और बेहतरी के लिए प्रगति करने के प्रयास करने चाहिए। दूसरे शब्दों में, इससे पूरे विश्व में सुख और समृद्धि सुनिश्चित होगी।

उपयुक्त बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुये इस समस्या का अध्ययन हेतु चयन किया गया है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य: प्रस्तुत शोध समस्या के निम्लिखित उद्देश्य है

1. शहरी व ग्रामीण महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन करना ।
2. एकल परिवार व संयुक्त परिवार की महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन करना ।
3. विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन करना।
4. नौकरी करने वाली एवं गृहणी महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना: प्रस्तुत शोध समस्या की संभावित शोध परिकल्पना निम्लिखित है

1. शहरी व ग्रामीण महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. एकल परिवार व संयुक्त परिवार की महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. नौकरी करने वाली एवं गृहणी महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध की प्रारूप: शोध प्रारूप, मूल शोध हेतु बनाई गई योजना का एक खाका है। इसमें प्रयोग होने वाली अनुसंधान विधियों, उपकरणों और तकनीकों की संरचना और पृष्ठभूमि भी शामिल होती है। प्रस्तुत अध्ययन की शोध प्रारूप अग्रलिखित है

शोध विधि: प्रस्तुत शोध समस्या के लिये शोधकर्त्ता द्वारा सर्वेक्षण विवरणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है ।

जनसंख्या: वर्तमान भारतीय परिदृश्य में महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन। इस सर्वेक्षण कार्य के लिए आजमगढ़ व मऊ जनपद की महिलाओं को जनसंख्या के रूप में चयनित किया गया है।

न्यायदर्श एवं न्यादर्शन प्रविधि: आजमगढ़ व मऊ जनपद की 720 महिलाओं पर शोध कार्य किया गया तथा यादृच्छिक न्यादर्शन प्रविधि का प्रयोग किया गया ।

शोध उपकरण: आकड़ों के संकलन के लिए उपकरण के रूप में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर से सम्बन्धित प्रमाणीकृत शोध उपकरण का प्रयोग किया गया है जो डॉ विशाल सूद एवं डॉ आरती आन्नद,शिक्षा विभाग ,केन्द्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला ,हिमांचल प्रदेश, द्वारा विकसित किया गया है ।

सांख्यकीय विश्लेषण: शोधकार्य में आकड़ों के संकलन के पश्चात उसका परिणाम निकालने के लिए मध्यमान एवं मानक विचलन व टी – परीक्षण सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया ।

अध्ययन का सीमांकन: प्रस्तुत शोध समस्या का सीमांकन इस प्रकार से किया है –

- प्रस्तुत अध्ययन केवल आजमगढ़ व मऊ जनपद तक सीमित किया गया है ।
- प्रस्तुत अध्ययन केवल महिलाओं तक सीमित किया गया है ।
- प्रस्तुत अध्ययन केवल मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता तक सीमित किया गया है ।

आँकड़ों का व्याख्या एवं विश्लेषण: प्राप्त आकड़ो की व्याख्या एवं विश्लेषण निम्न प्रकार से है

परिकल्पना परीक्षण: 01

- शहरी व ग्रामीण महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

उपरोक्त परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, माध्य, मानक विचलन और क्रांतिक अनुपात (टी–अनुपात) सांख्यिकी की गणना की गई, जिसका विवरण तालिका संख्या–01 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी :1

चर	प्रतिदर्श का आकार	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	मध्यमान का अंतर	DF	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता स्तर
शहरी महिलाएं	360	71.9125	10.6975	2.073611	718	2.66473	0.05
ग्रामीण महिलाएं	360	69.8389	10.1466				

उपर्युक्त सारणी में शहरी महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का माध्यम 71.9925 है तथा ग्रामीण महिलाओं में मानवाधिकारों की प्रति जागरूकता स्तर का मध्यमान 69.8389 है तथा शहरी महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का प्रमाणिक विचलन 10.6975 और ग्रामीण महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का प्रमाणिक विचलन 10.6466 है, इनका क्रांतिक अनुपात मान 2.66473 है जो की सार्थकता स्तर 0.05 पर सार्थक होने के लिए सार्थकता मान 1.96 होना अनिवार्य है, जबकि प्राप्त क्रांतिक अनुपात मान 2.66473 है जो इससे काफी उच्च है अतः दोनों समूह शहरी एवं ग्रामीण

महिलाओं में मानवाधिकारों प्रति जागरूकता स्तर में सार्थक अंतर पाया गया, अतः हमारी यह शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है, इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि शहरी महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक होती है तथा उनका शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है।

परिकल्पना परिक्षण: 02

- एकल परिवार व संयुक्त परिवार की महिलाओं के मानवाधिकार के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

उपरोक्त परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, माध्य, मानक विचलन और क्रांतिक अनुपात (टी–अनुपात) सांख्यिकी की गणना की गई, जिसका विवरण तालिका संख्या–02 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी: 02

चर	प्रतिदर्श का आकार	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	मध्यमान का अंतर	DF	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता स्तर
एकल परिवार की महिलाएं	360	74.19444	9.467252	2.958333	718	4.068513	0.01
संयुक्त परिवार की महिलाएं	360	71.2361	10.009				

उपरोक्त तालिका में एकल परिवार की महिलाओं में अपने मानवाधिकारो के प्रति जागरूकता स्तर का मध्यमान 74.19 है जबकि संयुक्त परिवार की महिलाओं के मानवाधिकार के प्रति जागरूकता स्तर का मध्यमान 71.24 है तथा एकल परिवार की महिलाओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता स्तर का प्रमाणिक विचलन 9.467252 है, और संयुक्त परिवार की महिलाओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता स्तर का प्रमाणिक विचलन 10. 009 है, तथा क्रांतिक अनुपात मान 4.069 है जो कि सार्थकता स्तर 0.01 के मान 2.58 के मान से बहुत अधिक है अतः स्पष्ट है कि एकल परिवार की महिलाएं संयुक्त परिवार की महिलाओं की तुलना में मानवाधिकारों के प्रति अधिक जागरूक है, जिसका संभावित कारण उनका सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक एवं राजनीतिक संरचना का स्टार उच्च स्तर का होना है। अतः हमारी यह शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है।

परिकल्पना परीक्षण : 03

- विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है

उपरोक्त परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, माध्य, मानक विचलन और क्रांतिक अनुपात (टी–अनुपात) सांख्यिकी की गणना की गई, जिसका विवरण तालिका संख्या–03 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी : 03

चर	प्रतिदर्श का आकार	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	मध्यमान का अंतर	DF	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता स्तर
18 से 35 वर्ष की महिलाएं	360	71.8472	10.0853	0.526389	718	0.695421	0.05
35 से 55 वर्ष की महिलाएं	360	72.3736	10.1069				

उपर्युक्त सारणी में 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु की महिलाओं में अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का मध्यमान 71.8472 तथा 35 से 55 वर्ष की आयु की महिलाओं का अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का मध्यमान 72.3736 है। तथा 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु की महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का प्रमाणिक विचलन 10.0853 है, और 35 वर्ष से 55 वर्ष की महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का प्रमाणिक विचलन 10.1069 है । इनका क्रांतिक अनुपात मान 0.695421 है जो की सार्थकता स्तर 0.05 पर सार्थक होने के लिए क्रांतिक अनुपात का मान 1.96 होना अनिवार्य होता है । जबकि प्राप्त क्रांति अनुपात का मान इससे अत्यधिक कम है, इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि दोनों समूह के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है, अतः हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना परीक्षण : 04

- नौकरी करने वाली एवं गृहिणी महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

उपरोक्त परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, माध्य, मानक विचलन और क्रांतिक अनुपात (टी–अनुपात) सांख्यिकी की गणना की गई, जिसका विवरण तालिका संख्या–04 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी : 04

चर	प्रतिदर्श का आकार	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	मध्यमान का अंतर	DF	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता स्तर
नौकरी करने वाली महिलाएं	360	72.9306	10.9434	0.027778	718	0.03459	0.05
गृहणी महिलाएं	360	72.9583	10.5718				

उपरोक्त सारणी संख्या–04 में नौकरी करने वाली महिलाओं का मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का मध्यमान 72.9306 है एवं गृहणी महिलाओं का मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का मध्यमान 72.9583है तथा नौकरी करने वाली महिलाओं का मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का प्रमाणिक विचलन 10. 9434 है, और गृहणी महिलाओं का मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का प्रमाणिक विचलन 10.5718 है, तथा इसका क्रांतिक अनुपात का मान 0.03459 है जो कि सार्थकता स्तर 0.05 पर सार्थक होने के लिए सार्थकता स्तर का मान 1.96 होना अनिवार्य है जबकि प्राप्त क्रांतिक अनुपात मान 0.03459 है, जबकि प्राप्त क्रांतिक मान इस मान से बहुत कम है, अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों समूह के बीच मानवाधिकारों के प्रति

जागरूकता स्तर में कोई अंतर नहीं पाया गया, जिसके कारण हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है ।

निष्कर्ष: प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त परिणामों की व्याख्या और विश्लेषण निम्नलिखित प्रकार से है

- शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं में मानवाधिकारों प्रति जागरूकता स्तर में सार्थक अंतर पाया गया । इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि शहरी महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक होती है तथा उनका शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है।
- एकल परिवार की महिलाएं संयुक्त परिवार की महिलाओं की तुलना में मानवाधिकारों के प्रति अधिक जागरूक है, जिसका संभावित कारण उनका सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक एवं राजनीतिक उच्च स्तर का होना है।
- 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु एवं 35 से 55 वर्ष की आयु की महिलाओं का अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नही पाया गया
- नौकरी करने वाली एवं गृहिणी महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

शैक्षिक निहितार्थ: वर्तमान अध्ययन से प्राप्त परिणामो से स्पसष्ट होता है कि

- शिक्षित महिलाये अपने मानवाधिकारों के प्रति अधिक जागरूक पाई गयी उसका प्रमुख कारण उनका सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से अधिक सजग होना है ।
- शिक्षित महिलाये अधिक सजगएवं जागरूक होती है अर्थात शिक्षा का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है ।
- नौकरी करने वाली महिलाये गृहिणी महिलाओं के तुलना में मानवाधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होती है।

सन्दर्भ

1. कपूर ए. के. (2019) मानवाधिकार, इलाहाबाद: सेंट्रल लॉ एजेंसी।
2. गजपाल एवं चौबे (2020) बी० एड० प्रशिक्षणार्थियों के मानवाधिकार के प्रति जागरूकता पर एक अध्ययन, इण्टरनेशनल जर्नल ऑव रिव्युज एण्ड रिसर्च इन सोषल साइंसेस 8 (4) 242–250,
3. तिवारी ए. (2020) मानवाधिकार एक संक्षिप्त जानकारी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिव्युज एंड रिसर्च इन सोशल साइंसेस, 7(1): 36–38,
4. नाथ केदार (2016) मानवाधिकार व मीडिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन, गोल्डेन रिसर्च थाट्स।
5. यादव ए. के. (2018) विद्यार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च एंड डेव्लपमेंट, 3(2): 654–657,
6. शर्मा लाल (2011) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास व समस्यायें, मेरठ: आर० लाल बुक डिपो । शर्मा एम0 (2017), शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन, रिमार्किंग एंड एनालिसिस 2(9) 132–139.